

6-9-18

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक द्वारा कार्यस्थगित करने का अनुरोध किया/स्वीकार किया जाता है पत्रावली दिनांक 11-10-18 को पेश

उपखण्ड अधिकारी बनेडा

11/10/18

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 15/11/18 को पेश हो।

आज्ञा से  
रीडर

15/11/18

पत्रावली पेश हुई (उभयपक्ष अनुपस्थित) विपक्षी से 1 व 2 के सम्मान जो केवल प्रस्तुत नहीं। अनिवार्य अनुसार पेश किया जाता है पत्रावली वास्ते लखनऊ दि 20/12/18 को पेश हो

20/12/18

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 21/11/18 को पेश हो।

Not Pro

तेहसीलदार  
बनेडा जिला

आज्ञा से  
रीडर

31.01.2019

पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण नियत <sup>सुनवाई</sup> शिविर में अनुपस्थित। वादी यानि राजस्थान राज्य जरिये तेहसीलदार बनेडा ने यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट बाबत सहखातेदारान के हिस्सों के सही विभक्तीकरण करा, घोषणात्मक डिक्री चाहने अनुतोष आशय से यह राजस्व वाद पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें आज वक्त सुनवाई वादी

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
क्रम की तारीख  
में जारी हुए

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

~~342405~~, कार्यालय 342405  
आदेशकारी, बनेडा  
57/2018 (05 बरती) राज्य पक्ष

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा ने इसी मौजूदा वादपत्र में अब  
आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण  
में आदेशिका पर नोट प्रेस का अंकन कर हस्ताक्षर किये  
गये।

ऐसी स्थिति में इस वादपत्र में अब आगे कोई  
कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वादी का वादपत्र  
वादी के नोट प्रेस किये जाने से इसी स्तर पर ड्रॉप किये  
जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।